"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 1998, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd December, 1998.

2. The Seaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

MOTION RE. Thirtieth report of the commissioner for scheduled castes and scheduled tribes for the years 1980—91—*contd.*

SHRI JOYANTA ROY (West Bengal): Sir, first of all, I would like to extend my heartiest thanks to the hon. Minister who has brought this report after seven years of obscurity. I would like to say very categorically that much has been talked for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But after forty-five years of our planned economy, if we evaluate the relief work, all of us will find-I think nobody will deny this fact—that in reality a major chunk of the population has achieved nothing. I have no objection if reservation is extended to recruitment, promotions in all categories of posts and admission to educational institutions. We all support it.

But the point is, as my colleague had brought to the notice of the House, if we are really serious in doing something good to the peasantry, to the working class, then my first submission to the Minister, to this House and to the Government is that we should be very serious in respect of introducing land reforms in all the States. It is a major issue. Keeping aside the land reforms, we cannot do any good to the landless labourers. We cannot do any good to the fishermen, without giving them certain area of operation. Reservation alone cannot serve the purpose. Sir, my second point is that in the Action Taken Report, it has been stated that the Supreme Court is the highest law making body. So far as my knowledge goes, the Supreme Court is not the law making body; it is the highest law interpreter. But if we want to extend the facilities of reservation to (A) and (B) categories of services, it can be done by making necessary amendments to the Constitution. Sir, my last point which; I think is not the least—is that the list names of various communities which deserve to be recognised as Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be cleared. Proposals from different States are pedning in the Ministry...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That point is already there.

SHRI JOYANTA ROY: It is a very serious issue and resentment is developing day by day. If social justice is denied, it will accentuate the sense of deprivation, causing frustration and despair, and, ultimately, it would alienate the youngsters belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Therefore, my humble submission to the Government, through you, Sir, is that the pending list should be cleared as early as possible and in respect of the tribal people, some welfare schemes, job-oriented schemes, should be introduced.

श्री नरेश यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अभी हमारे मित्र चौधरी चुन्नीलाल जी ने इस विषय पर सच्चे मन से अपने दिल की बात हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज जो घटनाएं समाज में घट रही हैं, उन्होंने उसकी नब्ज़ को टटोलने का प्रयास किया है।

महोदय, हिन्दुस्तान में आज़ादी के 50 वर्ष बीत जाने पर भी इज्ज़त, मान, सम्मान, सब जाति के आधार पर मिलता है। यहां तक कि भूमि, संपत्ति, यह भी जाति के आधार पर मिलती है। हजारों-हजार साल से हिंदुस्तान की आबादी जाति में विभक्त होकर रही है और इस

व्यवस्था ने इस देश को काफी बरबाद किया है। इसी व्यवस्था ने किसी जाति को भगवान के करीब वाली जात कहला दिया और किसी को अछूत और अधम कहला दिया जिसके चलते आज़ादी के 50 साल बीत जाने पर भी हमारे देश में ऐसी जाति के लोग हैं जिसे आम लोगों को ग्राह्य करने में मुश्किल हो रही है। इस देश का मान सम्मान बहुत बढ़ाया है राष्ट्रपिता बापू ने। आजादी के पूर्व भी इन दलितों को झकझोरने का प्रयास किया, सम्मान देने का प्रयास किया। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और अन्य नेताओं ने जो प्रयास किया लेकिन हम बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं भूल सकते जिन्होंने कि हमारे दलितों के भाइयों का सम्मान और देश का सम्मान बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अवश्य ही आप अपने मंत्रालय में लगाएं। अगर लगी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं लगी हो तो शायद मैं जहां तक जानता हूं कि हमारे पूर्व कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी से आज वार्ता हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी। अगर लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मूर्ति नहीं लगी है तो अवश्य ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहां लग जानी चाहिए।

महोदय, मैं दूसरे पोइंट पर आना चाहता हूं। आज भी क्या हमने इन दलितों को इस लायक नहीं समझा कि यह जो जितना इनका बैक-लॉग है जो बची हुई नियुक्तियां है उनको नहीं भर सके। ठीक ही कहा हमारे चुन्नी भाई ने कि इसके लिए कौन दोषी है। क्या ये इस योग्य नहीं है। क्या इस देश में लोगों ने नहीं समझा कि इसी दलित भाई में से बाबू जगजीवन राम थे। उनको कांग्रेस की हुकूमत ने, सरकार ने योग्य समझा और जो विभाग इनको सौंपा उस विभाग को उन्होंने चमका दिया। यह देश अन्न के बिना भूखा मर रहा था। पी०एल०—464 के बारे में अमेरिकी चक्कर में फंसा हुआ था। लेकिन जब उनको कृषि मंत्रालय का भार दिया गया तो बाबू जी ने न सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि यहां से निर्यात करने लायक अनाज को बढ़ा दिया। ऐसे महान बाबू जी थे। इसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर को महान समझा। ऐसा उन्होंने संविधान हमको दिया जिस पर देश को और दुनिया को नाज है। महोदय, इसलिए मैं अपनी बात....**(व्यवधान)** हमारी पार्टी का काफी समय है। अगर आप इस तरह से बार-बार इशारा करेंगे तो जो बात मैं रखना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप पोइंट रखिए, मना थोड़ी कर रहा हूं।

श्री नरेश यादव: मैं पोइंट ही रख रहा हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। दलितों के बारे में भी संविधान में काफी जिक्र है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनके नाम पर जो आई०आर०डी०पी० या जो केन्द्र से पोषित कई योजनाएं हैं, क्या इन तक पहुंच पाती हैं? क्या जो आई०आर०डी०पी० में जो 6 हजार का लोन दिया जाता है उसमें 60 परसेंट सब्सिडी, 70 परसेंट सब्सिडी, कुछ कृषि यंत्रों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी है। क्या यह सब्सिडी इनको मिल पाती है? आज भी मैं कहता हूं कि यह जो केन्द्र की पोषित योजनाएं हैं इनका सीधा लाभ हमारे दलित भाइयों को नहीं मिल रहा है, समाज के जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं उनको नहीं मिल रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन बीच में इस फंड को खा जाता है? निश्चित तौर पर जो बैंकों से सहायता दी जाती है इन बेचारों को तो वहां तक मिल नहीं पाती है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर भी कड़ाई से आज विचार होना चाहिए कि कैसे यह इन तक पहुंच सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गंदी बस्ती है और इनके द्वारा मैला ढोने की प्रथा आज भी है। मैंने इस बात को आंखों से देखा है। मंत्री जी की इसमें रुचि है नहीं तथा मंत्री जी महत्वपूर्ण बात सुनना भी नहीं चाहती हैं।....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Mr. Minister, there is an allegation from the Members that you are going on talking with the other Members.

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): My apologies to the hon. Member. I am sorry.

श्री नरेश यादव: तो मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि एस०सी०, एस०टी० के सवाल पर चर्चा चल रही है। तो आज भी इस देश में मैला, गन्दा ढोने की प्रथा है। हमारे दलित वर्ग की मां, बहनें, भाई मैला ढोने का काम कर रहे हैं। गंदी बस्तियों में वह रह रहे हैं, जानवरों का जीवन जी रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Members are complaining that the Minister herself is indulging in talking to other Members. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, I am sorry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): How many people will apologise?

श्री नरेश यादव: थैंक यू सर। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के दिन भी हमारी मां, बहनें, भाई अपने सिर पर मैला ढोएं तो इस प्रथा का अंत कब होगा? योजनाएं बनी हैं लेकिन आज भी गांवों में महिलाएं अपने सिर पर मैला ढो रही हैं। यह कलंक है और यह पाप है। आज वे व्यक्ति जानवर सा जीवन जी रहे हैं गंदी बस्तियों में रहकर। हमें जानवर की चिंता तो है लेकिन इंसान की चिंता नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जानवर की भी चिंता होनी चाहिए लेकिन इंसान विवेकशील है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, पहले उसकी चिंता करो जो आज के दिन भी मैला ढोकर गंदी बस्तियों में रहकर नरक सा जीवन जी रहा है।

महोदय, मैं जल्दी-जल्दी में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। इसके लिए जो ऐलोकेशन है, सरकार की ओर से कितना खर्च किया गया, क्या सही मायने में उनके पुनर्वास के लिए और जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं हमारे दलित भाई, उन पर पैसा खर्च हो रहा है या उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय को सदन में देना चाहिए कि उस पर सही पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे जो दलित भाई हैं, दलित विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है, स्कीम है विदेशों में पढ़ने जाने के लिए। क्या विदेशों में पढ़ने के लिए जो इनके लिए आबंटन है, जो इसके लिए ऐलोकेशन है, वह दिया जाता है? दो साल से कितने दलित विद्यार्थी विदेश भेजे गए जो अपना मान-सम्मान ऊंचा कर सकें? गांवों में गर्व से कह सकें कि हमारा भी बेटा, हमारा भी भाई विदेश गया था पढ़ने के लिए।

महोदय, अंत में मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा आज भी गांवों में कितने स्कूल दलित भाइयों की बस्तियों में है? इनके साथ यह हो रहा है कि इनकी बस्तियां अलग है गांवों में। गांव से अलग हटकर इनकी बस्तियां बनाई जाती हैं लेकिन उनमें क्या विद्यालय है? एक भी विद्यालय नहीं है। इसलिए उनकी बस्तियां अलग कर दी गई है। हमारे दलित भाइयों के लिए क्या इंदिरा आवास बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है। दिया भी गया तो अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए कि इनके पास पैसा कहां है? इनके पास साधन कहां हैं? खाने के लिए अनाज नहीं है, सरकार देती है 20 हज़ार रुपया, कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम दलित भाइयों के लिए आवास, जो पक्के मकान की व्यवस्था है, हम सच-सच तभी मानेंगे इस बात को कि सही मायने में हम काम कर रहे हैं, अगर इनके आवास, पक्के मकान जितनी भी लागत हो, पूरी लागत में लगा दिए जाते हैं तभी हम मानेंगे कि इनका काम हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नरेश यादव जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपनी स्पीच को। इंदिरा आवास योजना तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में नहीं आता है, यह दूसरे डिपार्टमेंट में आता है। ....**(व्यवधान)**....

श्री नरेश यादव: सरकार में तो आता है न श्रीमान्!

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप कनक्लूड कीजिए।

श्री नरेश यादव: यह सदन तो देश का है। इसलिए अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री महोदया से अपील करना चाहता हूं कि ज़िल्लत और शर्मनाक ज़िंदगी जीने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाना पड़ेगा। जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर सच्चे मायने में संकल्प लेना पड़ेगा तभी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा का कोई सार्थक निर्णय निकल सकेगा, यह संकल्प लें। आइए, हम सभी राष्ट्र के लोग, यह सरकार निर्णय करे कि आगे जो शताब्दी प्रारंभ होने वाली है, उसमें हमारा संपूर्ण वैकलॉग भरा जाए और ये सम्मान का जीवन जी सकें, यही हमारा कहना है। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Sir, we are discussing the Report which was presented seven-and-a-half years ago. This Report deals with the problems of almost one-fourth of our total population. These sections of the people are generally considered to be in very backward conditions. They are socially oppressed and economically exploited. They have been undergoing social oppression for centuries together. From the time of independence, much is being said about uplifting the conditions of these people. Several measures have been declared to remove their backwardness and to enable their children to get educated. In our Constitu-

tion itself, we have provided for reservation of jobs for these people to the extent of 22.5 per cent. But, even after 50 years, if we look at the reality, we find that even in these reserved posts, there is a big shortfall. Of course, in the case of the Scheduled Castes, the situation is comparatively better, But, even in their case, sufficient number of candidates are not forthcoming in 'A' and 'B' categories of jobs. In the case of the Scheduled Tribes, the situation is much more deplorable. You see, in all the categories, they are not getting the reserved posts filled which are reserved for them. Sir, the main reason which is being cited is that there is a dearth of qualified candidates or candidates having the minimum qualifications to be recruited to those posts. To some extent, it is correct. Of course, there are other reasons also. I don't want to go into those reasons. Perhaps, some of other colleagues will deal with them.

Sir, I fear that the situation will become much more worse in the years to come. As part of liberalisation programme, what is taking place in the education field is that private institutions are being promoted. As a result of that, if a small child is to get admission in LKG, the parents will have to give an amount ranging from Rs. 3,000 to 12,000 as donation. Leave alone the case of other primary schools, high schools and other institutions. Therefore, the chances of the children of these people getting educated are becoming more and more difficult, specially so because of the poverty of these people. An overwhelming majority of these people are living below the poverty line. They cannot give two meals a day to their children. Whatever meals they give, that will not be a nutritional food. Therefore, unless the whole thing is reviewed and certain new programmes are evaluated taking into consideration the reality of the situation, their condition cannot be improved. That is one point which I have to make.

Secondly, the Central Government as well as the State Governments and the Chief Ministers' Conference had decided that while implementing the land-reforms, they will be given priority in distribution the surplus land. But, even there, generally, we have failed in taking-over the surplus land. According to the statistics, there are 30 million hectares of surplus land, but so far, the total taken-over and distributed land is only seven lakh acres, not hectares. Therefore, there also, the Government or the governments have not moved with the political will and determination to see that those decisions are implemented. In the case of the tribal people, the situation is much worse. There legitimate land is being snatched away by the landlords. The people having clout in politics connive with the administration and some officers at various levels. These people are even taking the help of *goondas* in order to snatch away their legitimate land. At several places, the land which has been allotted to the Scheduled Castes and even to the Scheduled Tribes remains only on paper. Actually, they don't get the land. The land is snatched away by somebody else but neither the Government nor the officers concerned are looking into these affairs trying to find a solution to this. Another thing is, there are a lot of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not want to go into the details. Sometimes, their hamlets are surrounded, set fire, women are bing raped, molested and gang rape is committed against women. Several such things are happening. As every year passes such incidents are increasing and yet we have failed to control that and we have failed to avoid such things. Therefore, Sir, in all these respects the whole thing will have to be reconsidered. Whatever is being done is not enough. The way in which we handled these issues will not be enough. One more thing is, they are suffering from untouchability. Untouchability had been there for centuries and, in the year 1955, a legislation was enacted. Even then, in

broader areas of the country untouchability is practised. We could not prevent it. I do not want to go into the various incidents. Even recently, in several States, large scale violence was let loose against Harijans and against Scheduled Tribes. Therefore, my suggestion is that we should ponder over this. We should try to examine how far we have succeeded in implementing whatever we had decided and what are the results. If any revision of the scheme is needed it should be over, or, else all our expectations about the development of our country will remain only on paper. This is what I had to say. With these words, I conclude.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की आख्या पर जो भारत सरकार ने कार्रवाई की, उस कृत कार्रवाई के साथ हम इस आख्या पर बहस कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं बड़े दुख के साथ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आयोग ने अपनी आख्या के प्रारम्भ में इन वर्गों की तमाम दयनीय परिस्थितियों का वर्णन करते हुए 24 सिफारिशें की थीं। उन 24 सिफारिशों पर सरकार ने जो कार्रवाई की उसे पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसमें एक सिफारिश यह थी कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके कर्ज वगैरह माफ होने चाहिए। इसका जवाब तो यह दे दिया है कि वित्त मंत्रालय ने इसको स्वीकार नहीं किया और दो-चार आख्याओं का जवाब दिया है कि उसके लिए आयोग का गठन कर दिया गया है और बाकी सबका जवाब मोर आर लेस यह है कि स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह भी कानून का उल्लंघन किया है भारत सरकार ने जवाब देने में। धारा 338 में जो आयोग के अधिकार हैं उसकी उपधारा 7 में कहा है—

Where any such report or any part thereof relates to any matter with which any State is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State, who shall cause it to be laid before the Legislature of the State. यह कहना चाहिए कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और हमने स्टेट के गवर्नर को भेज दिया है, लेकिन कहीं पर भी यह कहा नहीं है।

सर, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाम बात हो सकती है सरकार की उदासीनता के बारे में। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दो-चार मुद्दे ऐसे हैं जो आज समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं और उस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान की जो रूह है उसके आधार पर भारत एक विकासशील देश है और कल्याणकारी राज्य है। अब इस देश में पिछड़े लोगों का, पिछड़े वर्गों का, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होना है और कल्याण भी दीन, हीन, गरीब का होना है। इस देश में जितने भी पिछड़े लोग हैं, दीन हीन लोग हैं, उनमें 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, जनजातियों के लोग हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। इनमें 90 प्रतिशत लोग इन्हीं अनुसूचित जाति, जनजातियों के लोग हैं जिनके पास आज रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है दवाई नहीं है। इनकी आज सुरक्षा नहीं है, न्याय नहीं मिलता है, इनका सम्मान नहीं है और इनका अपमान होता है, ये 90 परसेंट लोग इन्हीं वर्गों के हैं। आज हमारे देश में तमाम विकास और कल्याण की योजनाएं हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो चिन्ता व्यक्त की थी कि विकास और कल्याण की शुरूआत इन वर्गों से की जायेगी, यह चिन्ता 1927 में तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने की थी और इन वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था। इसके बाद यह चिंता हमारे भारत के प्रतिनिधियों ने गोल-मेज कांफ्रेंस में जाकर की थी। डॉ॰ अम्बेडकर ने यह चिंता की और चिंता करने के बाद, मैं कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत बातें कहनी हैं, मेरे पास कोट करने के लिए मैटीरियल बहुत है, डॉ॰ अम्बेडकर ने वहां कहा था कि मुझे एडल्ट फैन्चाइज व ज्यवाइन्ट इलेक्टोरोल चाहिए या सेपरेट इलेक्टोरोल चाहिए। अगर सेपरेट इलैक्टोरोल हो गया होता, पृथक निर्वाचन हो गया होता तो ये लोग इस देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो गये होते। इस पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। पूना में एक समझौता हुआ और उसके आधार पर यहां आरक्षण मिला। इसके बाद इसकी चिंता यहां पर पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने की। मद्रास में एक याचिका हाई कोर्ट में डाली गई जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक भारत सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। वह पहला संशोधन अधिनियम कहलाता है। बाद में पं॰ जवाहर लाल नेहरू जी ने जो शब्द कहे, मैं उनको कोट करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, आप बोलिए। आप बोलेंगे तभी यह समाप्त होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: मेरे पास मैटीरियल है मैं उसमें से बताना चाहूंगा।

श्री राजूभाई ए० परमार (गुजरात): क्या बोला था नेहरू जी ने?

श्री संघ प्रिय गौतम: जो बोला था मैं उसे कोट करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी एक्शन-टेकन रिपोर्ट पर बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: प्लोज, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Another member is there.

श्री संघ प्रिय गौतम: पं० जवाहर लाल नेहरू ने चिंता की और यहां पर सदन में उन्होंने कहा कि इस देश के दबे, पिछड़े, दीन-हीन लोग ऐसे हैं कि उनके लिए हमें संविधान में कुछ करना चाहिए। संविधान में यह पहला संशोधन हुआ। इससे पहले देश के लोगों ने संविधान बनाते समय चिंता की और उसी के आधार पर संविधान में प्रावधान बनाए। आर्टिकल-15, आर्टिकल ल-16, आर्टिकल-17, आर्टिकल-46, आर्टिकल-330, आर्टिकल-332, आर्टिकल-334, आर्टिकल-335, आर्टिल कल-338 और आर्टिकल-339, इन सभी में आरक्षण की भी बात है, एज्युकेशन, इकोनोमिक एडवांसमेंट की भी बात है और जो हमारी असेम्बली और पार्लियामेंट हैं, उनकी भी बातें होती हैं।

मैं यहां एक बात यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण के बारे में लोगों को मिस कन्सेप्ट है। ऐसा आरक्षण जिसकी अवधि है वह केवल विधान सभा और लोक सभा का आरक्षण है जो दस साल के लिए हुआ था और आज जिसकी अवधि पचास साल की गई और जिसमें यह कहा गया कि जिस सूबे में जितनी जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है, टोटल जनसंख्या में जो उनका प्रतिशत है, उसी प्रतिशत में उनकी सीटें आरक्षित होंगी। जो रिजर्वेशन नौकरियों में है, इसका कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं था। लेकिन 1971 में जनगणना के बाद एक पहला सरकारी आदेश जारी होता है जिसमें नौकरियों के आरक्षण की बात कही गयी थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, एक मिनिट। आप मेरी बात सुनिए, हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं "That this House do consider the Thirtieth Report of the erst-while Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1989-91 laid on the Table of Rajya Saba on the 27th July, 1998." ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पर बोलिये। अभी आपकी पार्टी से कोविन्द जी भी बोलने वाले हैं। **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: ऐसा है कि कोई भी बोले। मैंने पहले प्रार्थना की है, मुझे बोलने दीजिये। कोई भी बोले। मैं तो अपनी बात बोलूंगा। मेरा अपना समय है। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपकी पार्टी का टाइम ज्यादा नहीं है। कोविन्द जी बोलेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: बोलेंगे तो बोलेंगे। आप उन्हें समय दीजिये। **(व्यवधान)** कहो तो मैं बन्द कर दूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपने जो पहला प्वाइंट दिया, it was a very good point. I must say that.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही दिन यह प्रार्थना की थी कि चार घंटे बहस के लिए बहुत कम हैं, इसे 8 घंटे किया जाए, जब मैं चेयरमैन साहब के पास गया था तब सदन के कई सदस्य उपस्थित थे. ..**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The hon. chairman has not allowed.

श्री संघ प्रिय गौतम: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। सदन के सब लोग मौजूद थे। सब ने कहा कि समय बढ़ाना चाहिये। आप भी मौजूद थे। मैंने कहा था इसलिए मुझे आधा घंटा बोलने दीजिदे।

श्री राम नाथ कोविन्द: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): कोविन्द जी क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। **(व्यवधान)**

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं विनति करूंगा कि इस विषय पर चर्चा का जो समय है, उसको बढ़ा दिया जाए। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोले हैं उस के ऊपर। **(व्यवधान)**

श्री राम नाथ कोविन्द: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समय बढ़ा दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): अभी शार्ट ड्युरेशन डिसकशन भी है, दो और बिल भी हैं उसके बाद।

श्री संघ प्रिय गौतम: होने दीजिये। यह बहुत गूढ़ विषय है इस पर विस्तृत बहस होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): So, I have to take the sense of the House. We can take up this up to 5 O'clock. Madam Minister, do you want to say something?

THE MINISTER OF STATE OF WELFARE (SHRIMATI MANEKA GANDHI): Sir, I have to give away the National Awards for the disabled at 4.30 P.M. ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम: कल जवाब दे देंगे। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी आप बैठिये। मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सम्मान दीजिये।

SHRIMATI MANEKA GANDHI: If we are going to extend the discussion, I have to be present. I cannot be present here because I will have to leave at 4 o'clock to give away the National Awards. Sir, today is the International Day of the Disabled. Tomorrow we can continue.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Tomorrow we have the Private Members' Business.

SHRI RAM NATH KOVIND: Sir, she can go there. Some other hon. Minister can take notes and the discussion may continue ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI MANEKA GANDHI: That is fine.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): कल चेयरमैन साहब के चेम्बर में मैं भी शामिल था और हम सब लोगों ने चेयरमैन साहब से प्रार्थना की थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट होगा, इसलिए दो दिन का समय दिया जाए। मैं नहीं जानता रिकार्ड में वह इस बात से एग्री हुए थे या नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है। इतना उन्होंने कह दिया था। कुल मिला कर हमारे पास उनका मोरल कनसेंट तो है। आपसे प्रार्थना है कि इस पर बहस चलने दीजिये। **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: सेक्रेटरी जनरल साहब भी मौजूद थे। उनके सामने की बात है। **(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): गौतम जी आप तो रूलिंग पार्टी के हैं। गवर्नमेंट बिजनेस और बिल से ज्यादा प्राथमिकता दे कर यह चर्चा करना चाहते हैं तो हाऊस को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में आप चला सकते हैं। **(व्यवधान)**

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): I think, we can go on up to 5 o'clock. Madam Minister, you depute somebody.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, if I am not here, who will reply? ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम: मंडे को हो जाएगा रिप्लाई।

SHRIMATI MANEKA GANDHI: If I am not here, who will reply? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The reply would be on Monday.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: That is fine.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी बोलिये ऑन दॉ ऐक्शन टेकन रिपोर्ट। **(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु: अब तो आपको ठीक-ठाक बोलना चाहिये **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं बैकग्राऊंड दे रहा था कि इतने प्रावधान बनाए। धारा 15 में पहले उपधारा (4) नहीं थी। जो पहला संशोधन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से धारा 15(4) हुई और उसमें यह है—The State shall have the right to look after the economic and educational adv-

ancement of the backward classes and particularly of SCs and STs. और धारा 16(4) भी बाद में आई उसमें बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए आरक्षण की बात आई। हमारी संविधान सभा ने प्रावधान बनाए, सरकार में एक अलग मंत्रालय बना। संयुक्त संसदीय समिति है वह अपनी हर साल आख्या प्रस्तुत करती है। इसके इलावा कानून बना लेकिन आज तक स्थिति क्या है? चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं पूरी बात नहीं कह सकूंगा। केन्द्रीय सरकार में नौकरियों की स्थिति आज यह है। क्लास-1 में टोटल जो नौकरियां है वे हैं 65481 इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के 6,637 और शिड्यूल्ड ट्राइब के 1,851 यानी 10 परसेंट और 2 परसेंट। होने चाहिए 15 और 7,1/2 । यह 1971 की आबादी के अनुसार है। लेकिन सन् 1991 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 16.08 और अनुसूचित जनजातियों की 8.48 और दोनों को मिलाकर 24.56 यानी 25 प्रतिशत होना चाहिए था लेकिन साढ़े 22 प्रतिशत ही मानकर अब तक दिया जाता रहा। लेकिन उसमें भी स्थिति जैसा मैंने बताया—क्लास-I में 10-15 प्रतिशत यानी 10 परसेंट और 2.89 प्रतिशत शैडयूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब का क्रमशः क्लास-II में कुल संख्या 1,08,857 जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के 13,797 और शिड्यूल्ड ट्राइब के 2,913 यानी शिड्यूल्ट कास्ट का आरक्षण 12 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब का 2 परसेंट। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि इतने दिन हो गए यह आरक्षित कोटा नौकरियों में पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा मान्यवर अभी जिक्र किया था विदेश सेवाओं का नरेश यादव जी ने। हमारी आई०एफ०एस० सेवा जो है उसके अलावा। इंडियन फारेन सर्विस से मतलब नहीं है उसका। जो भारत सरकार के, विदेश सेवाओं में यहां से, लोगों को भेजते हैं उसमें इसका मतलब है। 74 आफिसर्स भारतवर्ष के विदेशी सेवाओं में हैं। आज के दिन इसमें एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब का नहीं है। 48 आफिसर्स टीचिंग स्टाफ में हैं विदेश सेवाओं में—इसमें एक भी आफिसर शिड्यूल्ड कास्ट् एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है आज के दिन।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊं। 8 मेडिकल कालेज है और इनमें लगभग 700 टीचिंग स्टाफ में—यानी लेक्चरर और प्रोफेसर्स लोग हैं उनमें केवल 5 अनुसूचित जाति के हैं। जबकि वहां पर 21 परसेंट का आरक्षण है। 21×7=147 होने चाहिए। मान्यवर, मैं तीन यूनिवर्सिटीज का हवाला दूंगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा यहां पर हुई। आपका बनारस विश्वविद्यालय है। इसमें 327 प्रोफेसर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब का एक भी नहीं है। रीडर 489 है, शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब का एक भी नहीं है। लेक्चरर 704 हैं जिसमें एक है शिड्यूल्ड कास्ट का। अब वाइस चांसलर जरूर चले गए शिड्यूल्ड कास्ट के बनारस यूनिवर्सिटी के। जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसकी चर्चा हम सुबह कर रहे थे। 209 प्रोफेसर्स हैं; अनुसूचित जाति, जनजाति शून्य। 422 रीडर्स हैं— अनुसूचित जाति, जनजाति शून्य। 451 लेक्चरर्स हैं; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शून्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारी नाक ने नीचे है, 244 प्रोफेसर्स हैं; अनुसूचित जाति, जनजाति शून्य। 291 रीडर्स हैं; अनुसूचित जाति, जनजाति 2 और लेक्चरर्स 151 हैं अनुसूचित जाति 2 । शिक्षण संस्थाओं में पूरा नहीं, मेडिकल कालेज में पूरा नहीं, इंजीनियरिंग में पूरा नहीं, सरकारी नौकरियों में पूरा नहीं! यह मैं सरकारी आंकड़े पेश कर रहा हूं। आज के दिन एक सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया में वह भी ला डिपार्टमेंट में है। एडीशनल सेक्रेट्री केवल एक जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में है। न कोई ज्वाइंट सेक्रेट्री है न एडीशनल सेक्रेट्री है, न सेक्रेट्री है जो नीति निर्धारिक हैं। इनमें अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। मान्यवर, आपके इस पार्लियामेंट हाउस में आरक्षण पूरा नहीं है—राज्य सभा लोक सभा में, और जगह तो आप कहां जाएंगे। यहां भी आरक्षित कोटा पूरा नहीं है। आप एक-एक करके परिस्थिति देखिए। थोड़ा सा चितरंजन जी ने ध्यान दिलाया था। चौबे जी गए थे छब्बे होने मगर दुबे जी हो गए। शिक्षा की परिस्थिति देखिए। एक तो हमारे देश में टाट एजूकेशन है और एक हो गयी है बाट एजूकेशन। टाट एजूकेशन है सरकारी स्कूलों में। इसका स्तर दिन प्रति दिन गिराया जा रहा है। इनके अध्यापक पढ़ाते नहीं और इस शिक्षा को प्राप्त करके लोग बाबू भी नहीं बन सकते। और दूसरा है बा ट् एजूकेशन, जो पब्लिक स्कूल हैं, जिसका जिक्र चितरंजन जी ने किया पांच सौ, हजार रुपये महीने की फीस दे नहीं सकते, जिसे यह गरीब लोग नहीं दे सकते। अनुसूचित जाति के लोगों को एफीशिएंसी की बात कही जाती है, कर्णाटक और महाराष्ट्र में सैकड़ों प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज ऐसे हैं जो दो लाख, पांच लाख, दस लाख रुपया ले करके दाखिला देते हैं। ये जिनके जीरो परसेंट नंबर आयेंगे अपर क्लास के लोग वे पैसा दे करके डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की डिग्री ले करके

अफसर बन जाते हैं। लेकिन गरीब लोग इतना पैसा दे नहीं सकते, इसलिए ये डाक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते।

अब आप अर्थ व्यवस्था की तरफ आइये। हम इनकी दशा कैसे सुधारेंगे? या तो इनको उद्योग दें या इनको खेती दें, या इनको हम लोन अर्थात् कर्जा दें या फिर हम इनको एंप्लायमेंट दें। अब एम्पलायमेंट तीन तरह का है। एक नौकरी का एम्पलायमेंट है। पिछले दस साल से भर्ती बंद है। जब भर्ती ही नहीं होगी तो इनको नौकरी कैसे मिलेगी और पुराने जितने संस्थान थे वे बंद हो रहे हैं, छंटनी हो रही है या प्राइवेट हो रहे हैं। प्राइवेट संस्थान में आरक्षण नीति लागू नहीं है और अब विदेशियों को दिए जा रहे हैं। और ये आरक्षण नीति बिल्कुल लागू नहीं करेंगे। इसलिए अब नौकरी का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरा एम्पलायमेंट फैक्ट्रियों में काम करने से है। फैक्ट्री वाले हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने परेशान कर दिए। फैक्ट्रियों में आए दिन ताले पड़ते हैं, इसलिए मालिकों ने कहा कि फैक्ट्रियों का कंप्यूटराइज़ेशन कर दो। लिहाजा इंडस्ट्रियों का कंप्यूटराइज़ेशन हो गया और अब वहां मैन पावर एब्जार्ब नहीं हो रही। इसलिए रोज़ी वहां भी नहीं मिलेगी। हमारे यहां उद्योग तीन तरह के हैं। पहला बड़े उद्योग हैं। फिर मझले उद्योग और नीचे के उद्योग हैं जिनको बड़े उद्योग खा रहे हैं। एक था स्वतः रोज़गार जो सैल्फ एम्पलायमेंट कहलाता था, घरेलू उद्योगों से और कुटीर उद्योगों से मिलता था। लेकिन उन उद्योगों को इस सरकार ने और पुरानी सरकारों ने नज़रअंदाज़ कर दिया। ...**(व्यवधान)** उपसभाध्यक्ष जी, ज्यादा एम्पलायमेंट इन्हीं से मिलता है।

When they can provide more and more of employment, why can't you promote setting up of small-scale and cottage industries? These small-scale and cottage Industries provide employment more than five times what the big industries can provide.

लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, आज वे खत्म हो रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जमीन है मगर खाली जमीन है नहीं। जो जमीन गांव समाज की थी उस पर बड़े लोगों ने, दादाओं ने कब्जे कर लिए। मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिन जमीनों के पट्टे हुए उन पर कब्जे नहीं मिले। यहां पर 4 अगस्त, 1988 को इसी सदन में, आज के प्रधान मंत्री और उस समय नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था। मेरे पास भाषण है। उन्होंने कहा, When will these atrocities on Harijans stop? यह एक किताब हमारी पार्टी ने छापी है। उस समय अटल जी ने कहा कि यह बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं इसका कारण यह है कि जमीनों पर कब्जे नहीं दिए हैं और उनको जो रोज़ाना की मज़दूरी है वह नहीं मिलती है। कब्जे इनको सारे देश में नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े लोग, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है अपर क्लास के लोग और बड़े लोग, ये इनको जमीनों का कब्जा नहीं देने देते। इसलिए शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, 1979 में बना उसका थोड़ा सा उपयोग हुआ। उपयोग यह हुआ कि जो पीड़ित होगा या जिसके साथ बलात्कार होगा, जिसकी हत्या हो जाएगी, उसको कंपेंसेशन मिलेगा। जब इनको कंपेंसेशन मिलने लगा एक गरीब की हत्या कर एक लाख रुपया तो इनके पेट का पानी हिलने लगा, लिहाजा विरोध शुरू कर दिया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरे उसमें यह था कि जिसको जमीन का अलाटमेंट हुआ है अगर उसको उसका कब्जा नहीं दिया तो इस एक्ट के तहत नान बेलेबल वारंट जारी होगा और वह गिरफ्तार हो करके जेल जाएगा। इससे सारे देश में हो-हल्लड़ मचा और ज्यादा हल्ला हमारे समाज के सामाजिक न्याय के प्रहरियों ने मचाया।

3.00 P.M.

हमारे समाजवादी भाई और हमारे भी लोग उस में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि इस का दुरुपयोग हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पास हुआ। जब देखा गया कि चीजों का उत्पादन, वितरण और संभरण गलत हो रहा है और उपभोक्ता परेशान हैं तो सन् 1981 में एक स्पेशल एक्ट बना। फिर जब उस का उपयोग हुआ तो व्यापारियों ने चारों तरफ शोर मचा दिया कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। उस का नतीजा क्या हुआ? जब उस एक्ट की मियाद समाप्त हो गयी और नया एक्ट नहीं बना, तो आज सारे देश में महंगाई हो गयी। अब आप सभी लोगों ने आरोप लगाए कि व्यापारी महंगाई कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यापारी उस एक्ट के अभाव में महंगाई कर सकते हैं, उसी प्रकार यह जितने भी बड़े लोग है, इन्होंने अनुसूचित-जाति, जनजातियों के लोगों पर जुल्म व अत्याचार करने शुरू कर दिए। उपसभाध्यक्ष जी, आज उन लोगों के मास-मर्डर्स हो रहे हैं, उन की बहू-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उन की थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। इस तरह से उन का उत्पीड़न हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, अनुसूचित-जाति, जनजाति के बारे में धारा 339(2) में एक स्पेसिफिक प्रावधान है कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करेगी कि तुम अनुसूचित-जाति, जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाओ और उस के आधार पर कमेटीज बनाई जानी थी। महोदय, यहां राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी बैठे हैं। बिहार में आदिवासियों की एक कमेटी बनी, लेकिन वहां के मुख्य मंत्री ने उसे समाप्त कर दिया। महोदय, यह एक असंवैधानिक कार्य है जिस के कारण उस सरकार को बरखास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां कांस्टीट्यूशनल मशीनरी फेल हो गयी है। महोदय, मैं कह रहा था कि धारा-339(2) में प्रावधान है कि स्टेट "लुक-आफ्टर करेगी" और उन्होंने कमेटी को डिसमिस कर दिया। इस तरह से किसी स्टेट ने इसे लागू नहीं किया। अनुसूचित-जनजातियों के जो अलहदा क्षेत्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में जब सत्ता आएगी तो हम गवर्न करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, डा॰ अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में कह दिया था कि:

> "The downtrodden people have the greatest urge to get the power. They do not want to be governed. They want to govern themselves."

और अगर इन की अर्ज को नजरअंदाज किया गया तो यह इस देश की आजादी के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वह आगे आए और बिहार के आदिवासियों ने कहा कि हमें अपना अलग प्रांत चाहिए। लेकिन इस देश के सामाजिक न्याय के प्रहरियों ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस तरह उन को गवर्न करने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, अभी कुछ दिनों पहले टी॰वी॰ पर चुनाव विश्लेषण का कार्यक्रम चल रहा था।

श्री नरेश यादव (बिहार): आदिवासी क्या बिहार में ही हैं, पश्चिम बंगाल या मध्यप्रदेश में नहीं है?

श्री संघ प्रिय गौतम: मध्यप्रदेश की ही बात कह रहा हूं। मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स में से 34 सीट्स अनुसूचित-जनजाति और 11 अनुसूचित जाति की हैं यानी कुल 45 और इस तरह कुल सीट्स का 50 प्रतिशत है। उस दूरदर्शन के चुनाव विश्लेषण कार्यक्रम में टी॰वी॰ वालों की ओर से पूछा गया कि क्या वहां का मुख्यमंत्री आदिवासी बनेगा? उस समय वहां कांग्रेस के एक नेता और थे, मैं उन का नाम नहीं लूंगा...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, एक मिनिट रुकिए। वह माननीय सदस्य कुछ बोल रहे हैं।

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष जी, मैं जह जानना चाहता हूं कि एस॰सी॰/एस॰टी॰ आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है या बिहार के बंटवारे पर, माननीय सदस्य यह बतला दें।

श्री संघ प्रिय गौतम: तो फिर आप को सारी रिपोर्ट बढ़नी पड़ेगी। रिपोर्ट में आयुक्त ने यही कहा है कि यह मेरी "मेंटल एगोनी" है। यहां तक आपके चंपारण के बारे में कहा है कि वह सारे आदिवासियों का क्षेत्र था, उन की जमीन थी और जंगलात के एपैर्चर्स को यूज करते थे। सूखी लकड़ी को, पत्तों को, फूल को, फल को लेकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इन सरकारों ने आदिवासियों का वह अधिकार भी सब जगह समाप्त कर दिया। आज न तो वह लोग उस जमीन के मालिक हैं, न वह सूखी लकड़ी के मालिक हैं, न वह आज पत्तों के मालिक हैं, न वह फूल के मालिक हैं, न वह फल के मालिक हैं। आज वहां ठेकेदार बैठा दिए हैं। आदिवासी लोग जो शराब बेचकर अपना गुजारा करते थे, वह शराब भी ठेकेदारों के हाथ में चली गई हैं। यह कार्य किया है सरकारों ने इन लोगों के लिए। चम्पारण में यह हालत बना दी है कि गन्ना उगाने के नाम पर सारे बड़े लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और आज आदिवासी बगैर जमीन के रह गए हैं। आपके चम्पारण के बारे में यह कहा है कमीशन ने। मेरे पास टाइम कम है, अगर मुझे आप टाइम दें तो मैं और भी बता सकता हूं कि कमीशन ने और क्या अपनी रिपोर्ट में कहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था आर्थिक क्षेत्र में, उत्पीड़न के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आता हूं। सरकारी अस्पतालों में जो दवा मिलती थी, वह नहीं मिलती, अब गरीबों का ईलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। जो डाक्टर थे, अस्पताल के बराबर उनके प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक खुल गए। यहां दिल्ली में एक अपोलो अस्पताल खुला है। मरते तो सरकारी अस्पतालों में भी हैं और अपोलो में भी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों, हजारों में मर जाते हैं मगर अपोलो में जो मरते हैं लाखों खर्च करने के बाद। क्या गरीब आदमी अपोलो में जा सकते हैं? क्या यह लोग वहां इलाज करवा सकते हैं? मेरी पार्टी के एक नेता अपोलो में जाकर 10 लाख रुपए खर्च करके मर गए। अब सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं मिलेगी और अपोलो या प्राइवेट नर्सिंग होम में गरीब आदमी जा नहीं

सकेंगे तो इनके स्वास्थ्य का क्या होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मकानों की स्थिति यह है कि आज दिल्ली में भी झुग्गी-झोपड़ी बनी हुई हैं और उनमें 90 परसेंट इन्हीं वर्गों के लोग रह रहे हैं। रहने को मकान नहीं हैं और यह लोग यहां दस मंजिले मकान बनाते हैं। एफिसिएंसी की बात आती है। क्या यह लोग सबसे इन- एफिसिएंट होते हैं? आपको मालूम है कि देश में प्याज की किल्लत रही, है। मैं अपने दल के लोगों को भी प्रार्थना करना चाहता हूं, यह स्वीकार करना चाहिए कि यह कमी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी रही कि प्याज का यह लोग एक्सपोर्ट करते रहे। एफिसिएंट के मायने क्या है? एफिसिएंट के मायने यह है कि—"responsible and responsive officer and to look after the interests of the nation" This is the meaning of efficiency.

और यह इतने इनएफिसिएंट जो अफसर हैं, इनमें एक भी शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है। क्या यह सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। कामर्स डिपार्टमेंट के वह लोग, जो प्याज का निर्यात करते रहे और बिना प्याज के लोग यहां चिल्लाते रहे, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? You do not have the moral courage.

थामस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने डेफिनेशन दी है और जस्टिस चिन्नपा रेड्डी ने भी दी है। मेरे पास यह सारी किताबें रखी हैं, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए में कोट नहीं कर सकता। मैं केवल संदर्भ दे रहा हूं। इफिसिएंसी की परिभाषा उन्होंने दी है कि एफिसिएंट के मायने क्या है। एफिसिएंट के मायने इम्तिहान में ज्यादा नंबर पाना नहीं है, पोजीशन प्राप्त करना नहीं है। एक आदमी टोपर है, लेकिन प्लान बना रहा है सुरंग खोदकर रिजर्व बैंक में डकैती करने के, Can we call him an intelligent and efficient man? जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जैसे यह बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग की ईंट, बिल्डिंग के खंबे, यह आखिर किसने बनाये? किसने यह चिनी है इटें? यह इन्हीं दलित वर्ग के लोगों ने चिनी है। कितने ध्यान से बिल्डिंग बनी है, एक सूत भी इधर से उधर ईंट नहीं है। क्या यह स्किल्ड नहीं है? क्या इनमें दिमाग नहीं है? कैसे यह स्किलड नहीं हैं? यह कहते हैं कि एफिसिएंट नहीं हैं और इसलिए आज इनको अच्छे पदों पर नहीं लिया जा रहा। Are they not skilled?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मकानों की बात कर रहा था, अब इसके बाद न्याय के क्षेत्र में आता हूं। न्याय के क्षेत्र में आज काफी मुकदमें न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हैं। बहुत दिनों से। आपको याद होगा, जमींदारी का उन्मूलन हुआ और जमींदारी का खातमा होने के बाद जमीन जो निकली वह गरीबों में बंटनी थी। इसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज करोड़ों एकड़ जमी जो गरीबों में बंटती, वह स्टे आर्डर के कारण मुकदमों में पड़ी हुई है। हमारी न्यायपालिका के लोग बोलते हैं कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर तो न्याय पालिका के न्यायमूर्ति तीसरे दिन डिसाइड कर देते हैं और जो केसिस आज तीस साल से पेंडिंग हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। अगर ये न्यायमूर्ति इन केसिस को तय करते तो आज वह लाखों एकड़ जमीन उन गरीबों को मिल जाती। क्या यह लैंडलैस लेबरर्स को मिलेगी? यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज ही उड़ीसा में एक कांड हुआ है। शैडयूल्ड कास्ट की एक महिला का अपमान करके, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जात-पात है। हमारे एक साथी ने अभी कहा कि इस आरक्षण का लाभ केवल दो परसेंट लोगों के परिवारों को ही मिल पाया है, यह बात तो सही है लेकिन, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण की पृष्ठभूमि आर्थिक नहीं है और न आर्थिक थी, सामाजिक और शैक्षणिक थी। सामाजिक दृष्टि से एक आई०ए०एस० अफसर भी शैडयूल्ड कास्ट का आज राजस्थान में घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकाल सकता, एक आई०ए०एस० अफसर के बच्चे की, जो एस०टी० का आदमी था, उसके बच्चे की बारात नहीं निकलने दी गई। इसका मतलब है कि सोशियल बैकवर्डनैस इज़ स्टिल देअर। तो जो आरक्षण का प्रावधान है उसका आधार था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के मामले में जजमेंट दे दिया कि इनको आरक्षण नौकरियों में तो अलग रहा, अब इनको एडमिशन में भी आरक्षण नहीं रहेगा। किसमें नहीं रहेगा—साइंस में नहीं मिलेगा, मैथमेटिक्स में नहीं होगा, टैक्नोलाजी में नहीं होगा, मेडिसिन में नहीं होगा, इंजीनियरिंग में नहीं होगा, पायलट की सर्विस में नहीं होगा, डिफेंस में नहीं होगा, कालेजों में भी आरक्षण नहीं होगा वगैरह, वगैरह। चितरंजन जी ने एक बात बताई है, दूसरी भूल गए कि पब्लिक स्कूलों में जब बच्चे का दाखिला कराने जाते हैं तो वहां पैसा तो जाता ही है, इंटरव्यू भी होता है। वहां बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो एस०सी०, एस०टी० के लोग और उनके पेरेंट्स कैसे अंग्रेजी में इंटरव्यू देंगे? कितनी हास्यास्पद

बात है यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है इन वर्गों के साथ, मज़ाक उड़ाया जा रहा है इन वर्गों का। सारा जीवन हमने देश को समर्पित किया, बाबा साहब डा० आम्बेडकर के साथ रहकर कई साल तक हमने काम किया, देशभक्ति का हमने परिचय दिया। आज देश का निर्माण करते हैं तो हम, मकान बनाते हैं तो हम फैक्टरी चलाते हैं तो हम, सड़क बनाते हैं तो हम, जूता बनाते हैं तो हम, चारपाई बनाते हैं तो हम और इस देश की जमीन का पेट फाड़कर अन्न उगाते हैं तो हम, लेकिन भूखे मरते हैं हम, पैदल चलते हैं हम, जमीन पर सोते हैं हम, नंगे रहते हम, झोंपड़ी में रहते हैं हम। सुअर, गधे, कुत्तों से भी ज्यादा बद्तर जिंदगी हम इस समाज में जी रहे हैं, यह हालत है। यह सारी मेंटल ऐगोनी अपनी इस आख्या के प्रारम्भ के 12 पृष्ठों में की है आयुक्त ने। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं और मेरे पास समय होता तो मैं क्वोट करता। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग पर जजमेंट दे दिया 16.11.92 को, 18.11.92 को राज्य सभा में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि It was against the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe.

क्यों? I happen to be a lawyer also. नम्बर एक, बैकवर्ड क्लास के रिज़र्वेशन को चुनौती दी गई थी, एस०सी०, एस०टी० को नहीं। टोटल आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया लेकिन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पक्ष नहीं बनाया, सुनने का मौका नहीं दिया और उसकी जो बैंच थी, उसमें एस०सी० का कोई जज नहीं था जबकि जस्टिस के० रामास्वामी जी एक जस्टिस थे। महोदय, मंडल मुकदमे में जो सातवां क्वश्चिन था कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, जस्टिस अहमदी ने इस पर अपना डिसैंटिंग नोट दिया कि मैं इसके फैवर में नहीं हूं। I have got a copy of the Judgment with me. उन्होंने कहा कि यह हमारे सामने नहीं है लेकिन फिर भी कैरी-फॉरवर्ड सिस्टम नहीं रहेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा और 50 परसेंट में आरक्षण होगा और आज के दिन वैकेंसीज जितनी हैं, उनमें आरक्षण लागू होगा। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम खत्म। यह है इस समाज के साथ न्यायमूर्तियों का न्याय। तब मैं यहां बार-बार कहता रहा कि या तो तुम इसका रिव्यू पिटीशन दायर करो या संविधान में संशोधन करो। अंत में संविधान में संशोधन हुआ।

श्री एच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक): कांग्रेस भाइयों ने जो किया, वह भी बोलो।

श्री संघ प्रिय गौतम: सबने किया। महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। उसके बाद 5 ऑफिस मैमोरेंडम जनार्दनम साहब के मंत्रालय ने जारी किए, संविधान में संशोधन होने के बाद भी।

They have shown disrespect to the Parliament and they have shown disrespect to the Constitution. They have violated the Constitution.

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जिन अधिकारियों ने इस कांस्टीट्यूशन का बॉयोलेशन किया है, क्या उनको सजा दी जाएगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, बैठिए, मिनिस्टर बोल रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): Sir, in respect of the Personnel Ministry, the Cabinet Minister is the Prime Minister. I am only a State Minister. He is saying Janarthanan's Ministry It is not my Ministry. It is the Personnel Ministry. The Cabinet Minister is the Prime Minister. I will look into what the Member is saying. He should not make a charge against the Personnel Ministry. ...*(interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It is not Janarthanan's Ministry. It is the Personnel Ministry. But you are heading the Personnel Ministry.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: It is a charge against your Ministry, and not against you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, 5 मैमोरेंडम के बारे में आ गया है। Please take your seat.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I need two hours but I will take five minutes.

मुझे तो 2 घंटे का समय चाहिए था। महोदय, ये 5 ऑफिस मैमोरेंडम कब के हैं? ये सामाजिक न्याय की सरकार सपोर्टेड बाई कांग्रेस पार्टी, इनके जमाने के हैं। पहला है 30 जनवरी, 1997 का। दूसरा है 2 जुलाई, 1997 का। तीसरा है 22 जुलाई, 1997 का।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, वह सब आ गया है। इन 5 मैमोरेंडम के बारे में पहले दिन ही आ गया है।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं आपसे कह रहा हूं कि यह उल्लंघन है। मैं एक सवाल पर आया था कि कानून बनाया जाना चाहिए लेकिन आज तक जो प्रावधान लागू नहीं हुए, इनका दोषी कौन है और जो दोषी हैं, क्या उनको सजा नहीं दी जाएगी? मैं इसीलिए इनका उधाहरण दे रहा हूं कि अगर इनको सजा नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे लोग लागू करेंगे? मेरी मंशा यह थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Next point.

श्री संघ प्रिय गौतम: हमारे कांग्रेस से लोग बड़े होशियार हैं। हमने इनसे कोई बात सीखी नहीं। हमारी पार्टी के लोग भी सीख लेते तो अच्छा होता। कुछ हमारे ये भाई भी जिम्मेदार हैं। डाईल्यूट कयों हुई यह चीज? पहले केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था और सुप्रीम-कोर्ट ने भी होल्ड किया है, यह मेरे पास है। यह आरक्षण उनके लिए कब तक रहेगा, जब तक वे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बराबर नहीं आ जाते। लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर महिलाओं के आरक्षण की बात आई, ईसाइयों के आरक्षण की बात आई, मुसलमानों के आरक्षण की बात आई। बहुजन समाज पार्टी वालों ने भी उठाई, जनता दल वालों ने भी उठाई। हां, कम्युनिस्टों ने नहीं उठाई, मैं उनको दाद देता हूं। यह डाईल्यूट हो गया। ये बड़े होशियार थे कांग्रेस वाले। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों, आरक्षण लो लेकिन पूरा नहीं किया. इन्होंने कहा महिलाओं, आरक्षण लो। मैं क्यों कह रहा हूं, उस प्वाइंट पर आना चाहता हूं। उनको भी नहीं दिया, मुकर गए। कहा ईसाइयों को, आरक्षण लो, वह भी नहीं हो पाया। मुसलमानों को कहा आरक्षण लो, वह भी नहीं हो पाया। ये बड़े होशियार थे। ये जानते थे इन्हें यह नहीं चाहिए, इन्हें तो प्याज चाहिए। लिहाजा प्याज का मुद्दा देकर ये तीन राज्यों में चुनाव जीत गए। ये बड़े होशियार हैं। तीन राज्यों में चुनाव जीत गए क्योंकि इनको प्याज चाहिए। इन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें कोटा, लाइसेंस, परमिट, एजेंसी नहीं चाहिए, इन्हें तो प्याज चाहिए और ये जीत गए चुनाव। बड़े होशियार हैं और ऐसे ही चालीस साल से ये इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे आधा मिनट चाहता हूं। ये अगर प्याज का जिक्र नहीं करते तो बैरागी खड़ा नहीं होता। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि जो ताज इसने सिर पर था, सरकार इनकी थी, इन्होंने तीन प्रांतों के चुनाव का जिक्र किया।

"जो ताज इनके सिर पर था वो ताज इनको खा गया
प्याज को ये खा न पाए, प्याज इनको खा गया।"

श्री संघ प्रिय गौतम: मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में 70 परसेंट आरक्षण दिया है। आसमान नहीं गिर जाएगा। Let there be a special recruitment only for these classes for all categories of posts. नंबर एक। नंबर दो, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें अगर सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पैसा लगता है तो उनमें आरक्षण नीति लागू होनी चाहिए। अगर वे अपना पैसा लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री एच० हनुमनतप्पा: वे पैसा कलेक्ट करते हैं। अपना पैसा कहां से लगाते हैं? दस लाख, बीस लाख कलेक्ट करते हैं तब लगाते हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम: मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरे, उद्योगों में जो कॉटेज उद्योग और लघु उद्योग हैं, उनमें एक डीमार्केटिंग लाईन खींच देनी चाहिए कि ये जो काम हैं, जैसे जंगल में एक ढाक होता है। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग उसका पत्ता तोड़ कर दोने और पतताल बना लेते थे और बाजार में बेच देते थे। अब ये काम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करने लगे हैं। उसके प्लेट और कप दोनों ही बनाने लगे हैं। सारे काम उन्होंने ले लिए। Let there be a demarcating line. अगर ये नहीं हुआ तो इनको वह भी काम नहीं मिलेगा।

तीसरी चीज़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश यहां बैठे हुए हैं। न्यायाधीशों को सलाह दी जाए कि जितने जमीन से संबंधित मुकदमे पेंडिंग हैं, उनका तुरंत निपटारा किया जाए और वह जमीन उन लोगों को आबंटित कर दी जाए। नंबर चार, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसका अनुपालन किया जाए। नंबर पांच, ऐजुकेशन सिस्टम अगर फ्री, कंपलसरी और यूनिफार्म नहीं हो सकता तो जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, इनमें भी एक कोटा निर्धारित किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी की आज चर्चा

आई। अलीगढ़ युनिवर्सिटी में आज आरक्षण नहीं है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ऑथेटिकली मैं कह रहा हूं, मेरा बयान है, अगर गलत हो तो मुझे सजा दी जा सकती है। जो भी संस्थाएं यहां पर युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से ग्रांट और एड पाती हैं, अगर वे आरक्षण नीति लागू नहीं करती तो उनकी एड और ग्रांट बंद कर दी जानी चाहिए।

महोदय, एक-दो प्वांट्स और है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह है और जस्टिस चेनप्पा रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि थाने में इंचार्ज, डी०एम०, ए०डी०एम०, एस०एस०पी०, एडीशनल एस०पी०, सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जहां पर नीति का निर्धारण और नीति का इंप्लिमेंटेशन होता है, वहां पर इन लोगों को नियुक्त किया जाए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्लीज़ कनक्लूड... प्लीज़ कनक्लूड।

श्री संघ प्रिय गौतम: इसलिए बहुत सी बातें थीं लेकिन कुछ बातें अगर भावावेश में किसी को दुखाने वाली निकल गई हों तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा—

"मेरे चेहरे पर उगी दाढ़ी के इजाफे को न देख।
मेरे खत के मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख।"

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I assure you that I would not take more than two or three minutes. Enough discussion has taken place on the Thirtieth Report for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The whole subject or different aspects of the subject covering all types of problems, political, economic, social, educational, etc., have been discussed threadbare. I would like to draw the attention of this august House to a fundamental issue pertaining to Scheduled Tribes. When we talk of Scheduled Tribes, it is quite a wide term. Among Tribes there are certain rare species of human beings which are already on the verge of extinction. Have we ever thought of them? Now we are talking about the future of Scheduled Tribes. I have some information from the most authoritative source. I have heard from learned anthropologists that there are certain Tribes, certain small communities among the Tribes which are lineal descendants of the Neolithic people. But within the course of a few years, such rare Tribes would vanish from the surface of India. I would like to refer to one such Tribe, the 'Juang'. In the first half of the century, when the great German Anthropologist, Van Heimendorf lived with them for years, he saw Juangs numbering a few thousands. But the latest position is, the number of Juangs would not be more than 200 or 300. Within the next few years, such rare human species of the Neolithic age would disappear. Only two or three weeks back, I had an opportunity to talk to one NRI social activist who is presently working in Simlipal protected area, a wide stretch of forest, a wildlife sanctuary. In the core are of that sanctuary there lives a small community known as monkey-eaters. They would not come out of the forest. They would not settle even if settlement is given to them in the periphery of the protected area. Monkeys have migrated from the forest to the coastal belt where they get plenty of vegetables to eat and plunder. This community is not getting food. I am told that only to or three settlements of money-eating community could be seen in that area. It is high time that something was done. I request hon. Smt. Maneka Gandhi and hon. Shri Suresh Prabhu, who is in charge of the Ministry of Environment, to take some steps before some rare species of humanity vanish from the surface of the Indian sub-continent. We may talk about their future. There may be elaborate discussions about reservations, etc. But unless you preserve the vanishing tribes, what benefits can we give to the surviving tribes? My humble submission is that the attention of the concerned Ministry should be drawn to this fact. Immediate attention should be paid to see how to preserve the life of vanishing tribes in our sub-continent. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are actually discussing a Report submitted about a decade ago even though

various reports have been laid on the Table after that. Instead of discussing this Report, had we decided to discuss the Report laid on the Table recently, it would have been better. As far as this problem i.e. atrocities on SCs is concerned, it is a long-standing problem, of nearly 2,000 years. But I do not want to go into the origin of this issue. But one thing which we have to accept is that this is not going to be solved immediately. May be our next generations might try to solve it. Sir, this problem is more less identical with Apartheid practised in South Africa or for that matter in the United States. But this is slightly different. Sir, we belong to the Dravidian Movement and we feel proud to say that about 80 years back we launched a campaign for eradication of untouchability and of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Our forefathers belonging to the Justice Party formed the South Indian Liberation Federation.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES) IN THE CHAIR]

We started the campaign from our state in 1916. In 1920s, in Vaikkom in Kerala, a learned person, an advocate, was not even allowed to walk into the street in which the upper class people were living and in which a temple was there. So, we started the agitation there also. This was headed by Periyar E.V.R. in 1924. Even after Raja Rammohan Roy, Jyothi Bhai Phule and Periyar, there are so many people who exerted their maximum energy to uplift the society. In spite of that they were not able to advance to the stage that they ought to have. At that time, in 1920s, even the drinking water was separately used.

There was an agitation in Cheranmadevi also in this regard. I do not want to go into all those things...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: This was the case even in 1997 in Tamil Nadu.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Fortunately, he has reminded me of it. What we did was that recently we held the Collectors' Conference. The Chief Minister of Tamil Nadu has instructed the collectors to find out the villages where such discrimination is taking place. Recently also it happened in five or six places. That is also removed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: There were separate schools for Adi Dravidas in Tamil Nadu. In those schools Adi Dravidas teachers alone used to teach. There was on mixing up of the class-mates or play-metes with the upper-classes.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I feel you have misconstrued it. It is only to uplift the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A separate allocation is being made and it is only for the uplift of those people. For example, in a State for anybody who belong to S.C. wants to be in College or ITI, hostels, in colleges, previously, their income limit was Rs. 15,000/- Now it has been enhanced to Rs. 50,000/- Therefore, it was only for the uplift of the SC and STs. Now I feel that the problems of SC/ST is not a party issue. It is a national issue cutting across party lines. Therefore, the Pune Pact has brought about some changes in thought for SC/STs as well as for the other communities. Sir, what I feel important is, there are two things. Since so many people have talked about exploitation, I do not want to repeat it again and again. Exploitation of SC/STs not only means exploitation by the non-SC/ST community but within the SC/ST community also, there are persons who take advantage of the situation, as if they are leading these people, and they exploit them. There are two types of exploitation; one outside the community, and the other, within the SC/ST community. Those who want to mislead the SC/STs can exploit the situation for their personal gain, for their personal profit. Personal gain is dominating public interest. That is there throughout India.

In so many places, it is there. It should be eradicated. There are two problems; outside the SC as well as within SC community, the SC people are being exploited. We must see to this issue very carefully. Secondly, if they have to come up, there are two or three areas that we have to concentrate. First is education; the second is health, and the third is employment. For this, do they have the means to fulfil their basic needs? Do they have any economic status? For that, the Government has made so many plans and allocations are also made. What we feel is, the amount allocated for them should reach the hands of the deserved. There we must be very careful. As far as education is concerned, since most of the people belonging to the SC community are living in villages and not in the urban areas, we must see that there are no dropouts in the villages. We have to give the best education. The only thing is, it should be utilised by the community itself. Also outside the community, the people should extend their helping hand to see that they come up in education. The SC/ST communities are living in villages. In Tamil Nadu, we have built primary health centres in every block. One primary health centre should work for 24 hours. They must work in three shifts for 24 hours. Out of 384 blocks, we have done it in more than 250 blocks. In urban areas, we can go to the doctors, but, at the same time, in the rural areas, we have provided this facility for health. The third is unemployment. Mr. Hanumanthappa has also mentioned this. We have constituted a Committee in Tamil Nadu to look into more than 70 departments where vacancies have arisen. In spite of that, if they are not appointed, a special recruitment drive should be there. For that a separate Committee was constituted. This Committee had gone into this completely and they had completely culled out the details. Also, if the backlog is there, it should not lapse and it should not be filled up by the other communities. It should be given only to the SCs. If such a thing is done throughout India, it would be all right. I think the Vice-Chairman is giving a signal. I feel, there should not only be a change in the economy but there should be a change in the mind-set of the people also. For example, you know that Sampurnanand's statue was unveild by Shri Jagjivan Ram. I think he was the Defence Minister at that time. After the unveiling was done, it is said people belonging to upper castes took *Gangajalam*, poured it on the head of the statue because a Scheduled Caste had unveiled the statue. We have even got that judgment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Please conclude, Mr. Virumbi. You have taken three minutes extra.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I will take only one minute, Sir.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It happened in a school. The chair was washed with *Gangajal* because it had been occupied by a Scheduled Caste judge.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes, that is what I am saying. This is the mindset. Even the judgment is there. When it was said that the non-Brahmins can also do their archana, they said that if people, who do not belong to upper castes or the people, who are not entitled to enter the *sanctum sanctorum* of Hindu temples, touch the idols of God, God will be defiled. This is the judgment that we got. We are all children of God. But if the Scheduled Castes or those people who are not entitled to enter the *sanctum sanctorum* of Hindu temples, touch the idols God will be defiled. So, that Sampurnanand's statue was defiled. Now, to remove this what we have done in Tamil Nadu is that we have introduced a new system of *Samatwapuram*. We are giving free houses with five cents of land to people belonging to all the castes. One improvement has taken place. For exam-

ple, in Vellore district, even the upper caste Brahmins have also applied. They are residing along with the Scheduled Castes. SCs, OBCs, MBCs and FCs are all living together. Similarly, *Samatwapurams* have been initiated by *Dr. Kalaignar*, the Chief Minister of Tamil Nadu. It should spread throughout India. The castes should go. The tenth chapter of the *Rigveda, Purushashuktam,* has mentioned about caste. Therefore it should be abolished. It should be banned in all the States. With these words, I thank you, Sir.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, even after fifty years of independence, we are discussing the pathos of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Dr. Ambedkar had introduced a chapter in the Constitution of India to make the unequals equal. For that purpose, reservations have been given to SCs, STs and OBCs. But have we achieved the desired results? As Shri Virumbi was saying, the exploitation is within these communities. What I want to say is that taking the advantage of these reservations, some SC people have become high officials. After becoming high officials, they do not want to mingle with their own brothers and sisters. They have segregated themselves and formed their own society. They are not taking brides from their own communities.

These eductated people are taking bridges from upper castes. They are dissociating themselves from their own communities and their own societies. And whatever reservations have been given, these are being taken away by these people belonging to the creamy layer. People at the lowest levels are not getting anything at all. Unless this system of 'creamy layer' that has been introduced in the the case of Backward Classes, is also introduced in this case and those persons who are in the higher posts are excluded, the benefits that are being given by the Government will not go to people in the lower rangs of SCs and STs. So, my suggestion is, the creamy layer system should be introduced in SC/ST category. Then, Sir, all sorts of benefits are being announced for these people, but these benefits are not reaching these people. Only some sections of the people are getting these benefits. Sir, I would like to inform the House that recently a Harijan boy was selected for doing super-speciality in an Agricultural University of Netherlands...

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): हरिजन शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिजन शब्द अनपार्लियामेंट्री है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Margabandu, you can say 'Scheduled Caste'. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: A Scheduled Caste boy was selectged by the Agricultural University of Netherlands, but that boy was not given any scholarship from the Central Government. I was told that Rs. 200 crores were available in the NFDC, but that boy was denied scholarship on the ground that agriculture does not come within the rule eligible for scholarship. Ultimately, my leader, Dr. Puratchi Jhalaivi, offered Rs. 2.5 lakhs to that Scheduled Caste boy, and he is now studying in Netherlands. Shri Hanumanthappa and Shri Virumbi rightly said that atrocities are being committed on Harijans. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Margabandu, unless I check up from the Table, don't use that word. You can say 'Scheduled Caste' or 'Scheduled Tribe'. ...*(Interruptions)*... I have not given my ruling. It is being checked up whether it is unparliamentary or not. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: Sir, one Scheduled Caste lady, Chitra, was molested in a police station, and our

party has been demanding a judicial inquiry. Our party, the AIADMK, has resorted to four types of agitations. We had decided to present a memorandum to the Governor of Tamil Nadu on 9.12.98. In the meantime, the DMK Government has come forward to appoint a judicial commission. This is the actual position.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing this issue cutting across party lines. My learned friend is unnecessarily politicising it. It is under judicial scrutiny. It is a *sub judice* matter. Are you allowing it? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Is it a *sub-judice* matter?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, it is a *sub-judice* matter, and it should be removed from the records.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Margabandu, is what you said *sub-judice*? Is it litigated in any court of law? ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, the concerned police officials have been suspended. Immediate action has been taken in this regard. Actually, an inquiry has also been ordered. This matter is *sub-judice* now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Is the matter litigated in a court of law? ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: No, Sir.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, tomorrow it may become a problem. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, is the matter litigated in a court of law?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, it is in the process of going there. The concerned police officials have been suspended.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Under whose directions?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, an inquiry has taken place. It is under inquiry. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Which inquiry? Is it a departmental inquiry? ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I feel it is *sub-judice*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You tell us in which court it is pending. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, immediately I cannot tell all these things, but it is *sub-judice*. It is under inquiry and it should be removed from the records.

SHRI R. MARGABANDU: Sir it is not pending in any court. Only a judicial inquriy was ordered the day-before-yesterday. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, he has already accepted that a judicial inquiry has been ordered. ...*(Interruptions)*... If we express something here, then, it will affect the verdict. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, I have understood your point. Mr. Margabandu, if the matter is under judicial process, please don't discuss that.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, he has accepted that a judicial inquiry has been ordered. If we express our opinion on that, then, it will affect the verdict. So, it should be removed from the records.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Anyway, I give my ruling. In case the matter is

under judicial process, it should not be used. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: One should not talk for publicity.

SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN: It is not for publicity. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, please sit down. I have given my observation. Please sit down. *(Interruptions)* Mr. Virumbi, please take your seat. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: You are a Minister and you must know how to behave in this august House. *(Interruptions)*

SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN: I know better than you. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, please take your seat. You have drawn my attention and I have given my observation. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: How does the Minister stand up? Is this the practice? *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You are interfering with the hon. Member. Mr. Virumbi, when I give you a direction, you should...*(Interruptions)* Now you are defying the Chair. When I give a direction, you please take your seat. Let the hon. Member continue. If you feel the matter is *sub-judice*, you bring it before the Chair and we will expunge it.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I said that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): It is not.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He accepted that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): He has not accepted it.

SHRI R. MARGABANDU: It is not *sub-judice* at all. Judicial inquiry is not *sub-judice* at all. The matter has not gone before the court.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He cannot withdraw what he has said. *(Interruptions)*

SHRI R. MARGABANDU: We have been agitating for a proper investigation. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Anyway, he is concluding. Mr. Virumbi, please take your seat. *(Interruptions)*

SHRI R. MARGABANDU: I am stating the fact. If a proper investigation ...*(Interruptions)*... Even for these things, if my learned friend were to raise an objection, there will not be any point in it. What I am saying is that atrocities are being committed even now. I quoted the incidents. Our party demanded proper investigation, a judicial investigation, and we had set a deadline of 9.12.1998. Only then the Government ordered judicial inquiry. *(Interruptions)*.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Even before the request of the AIADMK we took action within 24 hours. About what he said on molestation, he cannot pass any verdict. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, please allow the hon. Member to continue. *(Interruptions)*

SHRI R. MARGABANDU: Only the day before yesterday! For the past one month we have been demanding a judicial inquiry and proper investigation in the matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Virumbi, you say, what you want to say. Let the hon. Member have his say. If you have to say something, then I will permit you but do not disturb the hon. Member. Let him complete. *(Interruptions)*

SHRI R. MARGABANDU: Now I go to the next point, Sir. Even before our nation got Independence, a communal G.O. had been introduced in Tamil Nadu. Protection was given to the backward classes and the Scheduled Castes and Tribes, even before Independence. My late leader Dr. MGR had brought in a legislation providing 18 per cent reservation for the Scheduled Castes, one per cent reservation for the Scheduled Tribes and 50 per cent reservation for the backward classes. So, it has resulted in 69 per cent reservation. That had been passed in the Assembly and it was sent here and it has been incorporated in the Ninth Schedule. Even then it had been challenged in the Supreme Court, with regard to reservations for Scheduled Castes. The Karnataka Government also has passed a legislation reserving 70 per cent and that is also challenged. Our humble request is that there should be a Constitutional amendment to give effect to 69 per cent reservation.

I come to the next point. Several things have been said. Under the Delimitation Act, a particular constituency is reserved for the Scheduled Castes. For nearly 20 years that particular constituency has remained a reserved constitutency. My humble request is that by rotation if all the constituencies are changed, SC candidates from other constituencies also would get the benefit. The Scheduled Caste men cannot compete with other upper caste people. So, in this way the constitutencies have to be changed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Margabandu, may I intervene you? You have used the word Harijan. If you say within a context, it is parliamentary. If you use it deliberately, it is unparliamentary. You can use the word 'Harijan' if it is within the context and if you are describing something. If you use this word derogatorily, then it is an unparliamentary word. So, the word 'Harijan' is permitted if you are mentioning it within a context in the course of your speech.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, I used that word in the context of a section of the people. I have not used that word with reference to anything else.

Sir, there should be a legal cell for inquiring into any allegations made by the Scheduled Caste people regarding atrocities and other cases. Sir, only this cell should be allowed to investigate the case so that proper investigation can be done. I would like to say as a practising lawyer and I feel it is my bounden duty to bring it to the notice of this august House that in the past Act like the Untounchability Act, the Civil Rights protection Act, SCs Atrocities Act, etc. have been introduced. But, in all humility, I would like to say that sometimes these Acts have been misued by some persons for their personal gain. These Acts have been misused. This should also be taken into consideration. Sir, then the Criminal Procedure Code has been amended by introducing a provision for an anticipatory bail so that no innocent person is harassed. So, with that intention the Criminal Procedure Code has been amended. But, under the Atrocities Act that provision of anticipatory bail has also been removed. That should also be taken into consideration. All these provisions had been there for 50 years. Mr. Gautam has referred to several things in this regard.

Sir, with regard to educational system I have to say that some concession or incentive should be given to the students who are studying in the rural areas. The students studying in the rural areas should be given more incentives so that they can complete with the students who are studying in the urban areas. If this is done, then only these Scheduled Caste, down-trodden and backward classes students compete with the students who are studying in the urban areas.

I also request that necessary

amendment should be incorporated with regard to 16 per cent reservation.

Then, Sir, funds have been allotted. Even an amount of Rs. 200 crores is pending. Nobody knows to whom it goes. The State Governments are not monitoring it. Therefore, there should be a monitoring agency so that the funds allotted reach the persons who are entitled to get them. These funds should not go to middlemen and other persons who are now able to extract these funds. This money should go to the deserving people. I request that there should be a monitoring agency for this purpose. With these words, I conclude.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की सामाजिक कुव्यवस्था के परिणामस्वरूप अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जनजातियों का जन्म हुआ जिन्हें एक व्यवस्था बनाकर हजारों-हजार वर्षों से सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से वंचित रखा गया। इसके परिणामस्वरूप देश के एक-चौथाई से ज्यादा लोगों की हालत दिन-प्रति-दिन बदतर होती गयी। महोदय, आजादी के पूर्व इस देश में मनु व्यवस्था के शिकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पूरे शूद्र समाज को लिखने-पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया और यहां तक कि स्त्री "शूद्रो न धियताम" को कार्यान्वित किया गया।

4.00 P.M.

इतना ही नहीं, क्षुद्र समाज के पढ़ने लिखने वालों को ज्ञान की बात सुनने पर उनके कानों में शीशा पिघला कर डालने की व्यवस्था की गई, ज्ञान की बात बोलने पर जुबान कटवाने की व्यवस्था की गई और ज्ञान की बात याद करने पर गर्दन कटवाने की व्यवस्था की गई, जिसके परिणामस्वरूप यहां का एक समूचा समाज शिक्षा से वंचित हो गया और उसके कारण उसके साथ जानवर के समान भी सलूक नहीं किया गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे शूद्र समाज को उसी मनुवादी व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था दी गई कि शूद्र समाज को धन रखने का भी अधिकार नहीं है। यहां तक कि यदि अपनी मेहनत-मशक्कत से भी उसके पास धन पैदा हो जाता है तो उसके लिए यह व्यवस्था दी गई कि राजा को चाहिए कि उसका धन जबरदस्ती छीनकर आधा अपने राजपाट में लगाए और आधा ब्राह्मण देवता को दान दे दे। इस प्रकार की व्यवस्था से शासित होने के कारण शूद्र समाज अपने पास धन रख नहीं सका। इस तरह से राजनैतिक और हर क्षेत्र में उसको पछाड़ने का काम किया गया और जिसके चलते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हालत दिन-प्रति-दिन बदतर होती गई।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ तो इस देश में भारतीय संविधान की व्यवस्था लागू की गई। हम संविधान की निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों के प्रति श्रद्धावान हैं और खासतौर से उसके अध्यक्ष भारत-रत्न बाबा डा० भीमराव अम्बेडकर जी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इन लोगों की कसक एवं पीड़ा को समझा और संवैधानिक व्यवस्था द्वारा उसे दूर करने का भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 50 साल बाद भी व्यवस्था के पोषकों की नियत खराब होने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उतना लाभ अभी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, जितना कि उन्हें पहुंचना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): What is the point of order?

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Nobody is taking down notes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): The hon. Minister is there.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Is he taking down notes?

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Yes. Rajubhai, the hon. Minister is taking down notes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I cannot direct the Minister to take down notes. The Government is here. They will note it down.

SHRI RAM JETHMALANI: I am taking down notes. I have a pen in my hands.

श्री गांधी आज़ादः उपसभाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग बना। वर्तमान आयोग और पूर्ववर्ती आयुक्त द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, आदि को भेजी जाती रही, किन्तु आयोग के सुझावों को अमल में नहीं लाया गया और जिसके कारण जितना लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए, वह अभी तक नहीं मिला। वैसे देश एवं प्रदेश की सरकारों द्वारा विभिन्न समयों पर नाना प्रकार के शासन आदेश भी जारी किए गए, किन्तु प्रशासन और शासन की मिलीभगत के कारण इन शासन आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज भी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन द्वारा यह जो जनवरी, 1998 में स्पेशल रिपोर्ट पेश की गई, इसके पेज 23 के अनुसार आज भी ए, बी, सी, तीनों ग्रुपों में किसी भी ग्रुप में इन जातियों का कोटा पूरा नहीं है। चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की हों, किसी में भी ए बी श्रेणी का खासतौर से कोटा पूरा नहीं है। इसके लिए पहले बात कही गई कि एबल केंडीडेट अवेलेबल नहीं हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस समाज के लिए हजारों हजार सालों से शिक्षा के दरवाजे बंद थे, वहां एबल केंडीडेट कैसे होंगे?

हमारे भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डा० अम्बेडकर के द्वारा जब शिक्षा के दरवाजे खुले और इस समुदाय को पढ़ने-लिखने का अवसर मिला और जब ऐबल केंडीडेट होने लगे, योग्य केंडीडेट होने लगे, तब दूसरा एक लेकूना लगाकर के आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया गया और कहा गया कि ऐबल बट नॉट सूटेबल फॉर दि पोस्ट, ऐबल तो हैं लेकिन उस पद के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज तक कोटा पूरा नहीं हुआ। उसी लाभ की वजह से आज हम हर जगह ऐबल भी हैं, सूटेबल भी हैं। आज चंद नौकरियों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियां ऐबल को भी नहीं मिल रही हैं, सूटेबल को भी नहीं मिल रही हैं, बल्कि नौकरियां खुद ट्रेसेबल हो गई हैं, जिसके कारण आज दलित समाज के लोगों का भी नौकरियों में आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग या आयुक्त समय-समय पर अपने प्रतिवेदन द्वारा जानजातियों की समृद्धि का तो प्रस्ताव रखते आए हैं किन्तु उनके प्रतिवेदनों और प्रस्तावों पर भी देश व प्रदेश की सरकारों द्वारा अमल नहीं किया जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह आयोग या आयुक्त को केवल एक फार्मेल्टी के लिए बनाया गया है? क्योंकि आयुक्त या आयोग को इतनी शक्ति नहीं दी गई है, इतनी पावर नहीं दी गई है जिसके प्रयोग से वह शासनादेश न मानने वाले नौकरशाह को दंडित करे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस कारण सरकारें और नौकरशाह आयोग और आयुक्तों के प्रत्यावेदनों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग एवम् आयुक्त को इस प्रकार की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए जिससे आयोग एवम् आयुक्त इस समाज के हित के संबंध में जारी शासनादेश आदि का कार्यान्वयन करा सकें।

इसके अतिरिक्त, महोदय, केवल नौकरियों में, राजनीति में भागीदारी देने से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भला एवम् पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, जबकि इसी सदन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि राज्य सभा में और प्रदेश की सभी विधान परिषदों में भी आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं मांग कर रहा हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुचित विकास के लिए हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वह खेत-खलिहान हो, चाहे वह कल-कारखाने हों, चाहे धरती हो, हर जगह भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम तो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का यह नारा है "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी"। यह देश के हर क्षेत्र में सुनिश्चित होना चाहिए सभी अनुसूचित जाति का और इस देश का समुन्नत विकास हो सकता है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का पालन प्रान्तों द्वारा नहीं किया जाता है। इस बारे में हमारी केन्द्रीय सरकार उनके ऊपर क्या दंडात्मक कार्रवाई करती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जे०आर०वाई० हो या अम्बेडकर ग्राम-योजना जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनका यदि प्रान्तों द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध भी केन्द्र सरकार को कोई न कोई कदम

उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण पर, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय पालन हो रहा था और जब उसका उपयोग शुरू हुआ तब हल्ला होने लगा कि उसका दुरूपयोग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसके दूसरे ही दिन दुरूपयोग के नाम पर उपयोग होना भी बंद करा दिया गया। इतना ही नहीं आरक्षण की व्यवस्था एकल पद पर रोस्टर सिस्टम उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने बनाया था और उस रोस्टर सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। थानो में पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी समाप्त कर दिया। उच्च शिक्षा, एम०डी०, एम०एस० और एम०बी०एस० डेन्टल में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 20 प्रतिशत अंक पर दाखिला देना शुरू किया था लेकिन भाजपा की सरकार ने उसे 20 प्रतिशत अंक की जगह 35 प्रतिशत अंक कर दिया है जिसके कारण आज भी सैकड़ों स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। महोदय, शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्तियां हुईं और उनका सेलेक्शन करके उनको नियुक्तिपत्र जारी किए गए लेकिन आज भी हजारों अध्यापक ज्वाईन नहीं कर पाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन शासनादेशों का पालन नहीं किया जाना है तो उनको बनाने से क्या लाभ?

महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करना चाहता हूं जिनसे यह पता चलता है कि जिन्हें इस कमजोर एवं लाचार समाज की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वे स्वयं भक्षक का कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ तथ्य देकर मैं अपनी बात की पुष्टि करना चाहता हूं। महोदय, जब भाजपा की सरकार नहीं थीं, उस समय समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में बाबा साहब डा० अम्बेडकर, जिनको दलितों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उनकी फोटो लगी हुई थी लेकिन भाजपा की सरकार के आने के बाद, उस फोटो को हटा दिया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को चोर और उचक्कों की संज्ञा से सुशोभित किया जा रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। इसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कीमती संपत्ति हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में प्राइवेट लोगों को पट्टे पर दी जा रही है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी जो कि माइनोरिटी समाज से होना चाहिए, उसकी जगह दूसरे समाज के व्यक्ति की नियुक्ति की गई है।

महोदय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए दी गई धनराशि को अन्य मदों में डाईवर्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सफाई कर्मचारियों के हित और उनके पुनरूत्थान के लिए जो 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, उसमें से एक भी रुपया उनके लिए खर्च नहीं किया गया और उसका 35 करोड़ रुपया अन्य योजनाओं में डाईवर्ट कर दिया गया। दूसरी ओर पशुओं के कल्याण पर 55 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यानी इस समाज के हितों पर जानवरों पर होने वाले खर्च के बराबर भी पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। इससे पहले के वर्षों में भी इस मद में खर्च न करने के कारण 300 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और उसे भी अब अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है जब कि इस वर्ग की हालत आज भी बहुत ही दयनीय है। मैं आपके माध्यम से एजेंसी से इन तथ्यों की जांच कराने की मांग करता हूं। विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की योजना है। इस स्कीम के तहत 30 छात्रों के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाती है प्रति वर्ष लेकिन इसको भी इस सरकार द्वारा अमल में नहीं लाया जा रहा है और एक भी छात्र एस०सी०/एस०टी० का नहीं भेजा जा रहा है।

महोदय, प्रांतों को आवंटित एस०सी०/एस०टी० (स्पैशल सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) और एस०सी०पी० (स्पैशल कंपोनेंट प्लान ऑफ स्टेट गवर्नमेंट) के लिए आवंटित धन को समय से अवमुक्त न करने के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के कार्य प्रभावित होते हैं। महोदय, डा० अम्बेडकर फाउंडेशन में भी घोटाला किया जा रहा है। उसके मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्री अनिल सलूजा को इस फाउंडेशन का वाईस-चेयरमैन नियुक्त किया गया है जो कि सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। जब कि फाउंडेशन के नियमानुसार वाईस-चेयरमैन अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए। इस तरह से यह घोटाला किया जा रहा है।

महोदय, जब बलवंत सिंह रामूवालिया जी समाज कल्याण मंत्री थे तो डा० अम्बेडकर मैमोरियल कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना की घोषणा की गई थी और इसके लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया था लेकिन वर्तमान मंत्री द्वारा पदभार ग्रहण करने पर इस योजना को रोक दिया गया है। श्री बलवंत सिंह रामूवालिया, पूर्व

समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डा० अम्बेडर फाउंडेशन क चेयरमैन की हैसियत से बाबा अम्बेडकर की बायोग्राफी जो मराठी में श्री चन्ददेव खेरमोडे द्वारा लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 50 लाख रुपया सेंक्सन किया था, उसको रोक दिया गया।

डा० अम्बेडकर पब्लिक लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन को रोकना सौ करोड़ की लागत से ब्रिटिश सेंटिनरी कमेटी ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर एक अम्बेडकर नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की योजना बनाई थी जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह की सहमति प्राप्त हो गई थी एवं प्लानिंग कमीशन ने भी प्रोजेक्ट के लिए साढ़े पांच करोड़ की ग्रांट उसी समय दे दी थी जिसे आप द्वारा पहली मीटिंग में समाप्तप्राय कर दिया गया किंतु बाद में आपने इसके प्रति अपनी सद्भावना ज़ाहिर करते हुए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को एन०जी०ओज़ जो आपके करीबी हैं, उनको दे दिया है।

श्री बी०एस० रामूवालिया, पूर्व समाज-कल्याण मंत्री द्वारा डॉफ अम्बेडकर फाउंडेशन की जनरल एवं गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी जो अम्बेडकर विचारधारा के चिंतक एवं परिचित रहे जिसका कार्यकाल 31.3.2000 तक था किंतु महोदय द्वारा भाजपा की सरकार बनने पर उसे निरस्त करके पुनः उस बॉडी का निर्माण किया गया जिसमें अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित लोगों को नहीं रखा गया।

बाबा साहब के जीवन एवं मिशन पर आधारित भारत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म को 18.9.98 के बयान द्वारा रोक दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण की ब्याज दर बढ़ा दी गई है। महोदय, इन समुदायों को 25 लाख व्यक्तिगत ऋण 4 प्रतिशत पर देने की व्यवस्था रही है किंतु जब से आपकी सरकार बनी है, उसके 16.10.98 के बयान के अनुसार व्यक्तिगत ऋण की सीमा 25 लाख से घटा कर 5 लाख कर दी गई है और ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 से 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। इस समुदाय पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसी प्रकार कुछ अन्य तथ्य हैं जो इस समाज के विरोध में माननीया मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पी०सी० सेन को अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम का चेयरमैन बनाया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. Azad, please conclude. You have taken five minutes extra.

श्री गांधी आज़ाद: मैं अपना बात जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को हरैसमेंट किया जा रहा है। अनधिकृत रूप से पिछड़ा वर्ग निगम के फंड का भी दुरूपयोग किया जा रहा है। 8 करोड़ के धन का दुरूपयोग फिल्म स्कैंडल पर और अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति के फंड को जनरल कैटेगरी के लोगों पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि माननीया समाज-कल्याण मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्धार एवं उत्थान के प्रति गंभीर न होकर मात्र घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से इस विचारधारा में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व उपसभाध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जॉन एफ० फर्नांडिस): धन्यवाद आज़ाद जी।

Now, there is a statement giving some information by the hon. Railway Minister. There has been a railway accident. It is a *suo motu* statement Honourable Railway Minister, please proceed.

STATEMENT BY MINISTER

Derailment of 8029 Down Kurla-Howrah Express

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Mr. Vice-Chairman, Sir, 8029 Down Kurla-Howrah Express from Kurla to Howrah derailed at 5.40 hrs on 3rd December between Mhasawad-Shirsoli stations on Manmad-Jalgaon section of the Central Railway's Bhusaval Division.

The train engine and eleven coaches next to it derailed, of which five coaches capsized. *Prima facie*, the cause of the accident is weld failure of rail. As a result of the above accident, five passengers died, eight suffered grievous injuries and ten passengers suffered simple injuries. As per the information received, three passengers were trapped inside the coaches, but they were able to see from outside. Only the down line has been obstructed and single line working has been introduced via the up line. The